बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–01–42/2017 /स्वा0/पटना,दिनांक /डा0 सुरेन्द्र राय, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, तेघड़ा के विरूद्ध सिविल सर्जन, बेगूसराय के पत्रांक 2557 दिनांक 04.11.17 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि डा0 राय की ड्यूटी दिनांक 27.10.17 को रोस्टर के अनुसार अपराह्न 2.00 बजे से 8.00 बजे रात्री तक थी। किंतु उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने के कारण इस अवधि में दुर्घटनाग्रस्त मरीज के उचित चिकित्सा नहीं होने के कारण अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया। विभागीय पत्रांक 178(9) दिनांक 27.02.2018 द्वारा डा0 राय से स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपने स्पष्टीकरण में डा0 सुरेन्द्र राय ने उल्लेख किया है कि दिनांक 27.10.17 को 2.00 बजे से 8.00 बजे तक उनके द्वारा ड्यूटी की गई है और अनेक मरीजो की चिकित्सा की गई। दुर्घटना में घायल लड़की शहाना प्रवीण उपचार हेतु अपराह्न 3.45 बजे आई, जिसका पंजीकरण सं0 463 है। घायल लड़की का पैर टूटा हुआ था, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया किंतु उसका प्रा0 स्वा0 केन्द्र, तेघड़ा में ईलाज संभव नहीं था, इसलिए उसे सदर अस्पताल, बेगूसराय के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों द्वारा एंबुलेंस की मांग की गई। एंबुलेंस उपलब्ध न रहने तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नहीं मिलने पर अस्पताल की खिड़की का शीशा तोड़ दिया गया और कुर्सी टेबुल उलट दिए। डा0 सुरेन्द्र राय के अनुसार प्रभारी चिकितसा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र तेघड़ा उनसे नाराज रहते है, इसीलिए उनके द्वारा अस्पताल को पहुँचे नुकसान को बढ़ा चढ़ाकार बतलाया गया। डा0 राय के स्पष्टीकरण पर सिविल सर्जन, बेगूसराय के पत्रांक 778 दिनांक 16.4.19 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया कि इस मामले में एफ0 आई0 आर0 भी द किया गया था। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, तेघड़ा द्वारा प्रतिवेदित है । तेघड़ा थाना कांड सं0 309/17 दिनांक 20.10.17 धारा 147/ 341/ 323 337/ 353/ 504/506 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत 25–30 अज्ञात महिला–पुर के विरूद्ध सत्य पाया गया है। अनुसंधान के उपरांत इस कांड में अंतिम प्रतिवेद सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है।

संपूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षा की गई तथा पाया गया यदि दुर्घटना में घायल मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध चिकित्स

सही तरीके से उपचार किया जाता तो मरीज के परिजन संभवतः उत्तेजित नहीं होते। डा0 राय द्वारा मरीज की चिकित्सा तथा एंबुलेंस उपलब्ध कराने में यथोचित तत्परता एवं संवेदनशीलता नहीं बरती गई।

अतः सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 सुरेन्द्र राय, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र तेघड़ा, बेगूसराय को 'निंदन' की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 801(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 26/12/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त(वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 सुरेन्द्र राय, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, तेघड़ा के विरूद्ध सिविल सर्जन, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31.12.19

सरकार के अवर सचिव